राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

क्र0 01/निविदा/2022 ग्वालियर, दिनांक 22.04.2022

//विज्ञप्ति//

(किराये पर दो वाहन अनुबंधित करने हेतु)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर में शासकीय प्रयोजन हेतु स्थानीय एवं सर्किट कोर्ट पर भ्रमण हेतु दो किराये के वाहन दो वर्ष के लिए मासिक किराये पर अनुबंधित किया जाना है। वाहन का एक्स शो-रूम मूल्य 10.00 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।

वाहन अनुबंध हेतु पंजीकृत फर्म/संस्थाओं से किराये पर दो वाहन उपलब्ध कराने हेतु मासिक दरें मोहर बंद लिफाफे में निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है:-

1. निविदादाता को निविदा प्रपत्र फीस रूपये 500/- एवं धरोहर राशि रू0 10000/- का डी0डी/बैंक ड्राफ्ट सचिव राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के नाम से देय होगी जो निविदा प्रपत्र के साथ पृथक-पृथक प्रस्तुत करनी होगी।
2. इस हेतु निविदा प्रपत्र एवं शर्तें राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर की शासकीय वेबसाईट www.boardofrevenue.gov.in पर उपलब्ध है।
3. निविदा प्राप्ति की अंतिम दिनांक - 12-05-2022 सायंकाल 05.00 बजे।
4. प्री-बिड मीटिंग दिनांक 02-05.2022 को दोपहर 12:00 बजे आयोजित होगी।
5. तकनीकी निविदायें खोलने का दिनांक 13-05-2022 को दोपहर 12-00 बजे।
6. वित्तीय निविदा खोलने का दिनांक 17-05-2022 को दोपहर 12-00 बजे।

सचिव
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(किराये पर वाहन हेतु निविदा शर्तें)

1. निविदाकर्ता द्वारा निविदा फार्म प्रस्तुत करते समय निविदा प्रपत्र फीस रूपये 500/- तथा धरोहर राशि रू0 10000/- की डी0डी/बैंक ड्राफ्ट पृथक-पृथक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जो सचिव राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के नाम से देय होगी।
2. न्यूनतम निविदाकर्ता द्वारा अपरिहार्य कारणों से अनुबंध करने से मना करने पर धरोहर राशि राजसात कर ली जाएगी।
3. अनुबंधित वाहन का एक्स शो-रूम मूल्य 10.00 लाख तक। मॉडल वर्ष 2019 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
4. वाहन का टैक्सी कोटे में रजिस्ट्रेशन/परमिट होना चाहिए।
5. ग्वालियर शहर से बाहर विश्राम की स्थिति में अलग से विश्राम चार्ज/किराया/ वाहन चालक भत्ता देय नहीं होगा। वाहन उसी स्थान पर रहेगा जहां उपयोगकर्ता द्वारा विश्राम किया जाएगा।
6. वाहन की प्रति लीटर डीजल/पेट्रोल खपत 10 किमी/प्रति लीटर से कम की नहीं होगी। इससे कम औसत होने पर वाहन प्रदाता द्वारा क्षतिपूर्ति की जवाबदारी रहेगी।
7. वाहन सेल्फ स्टॉर्ट होना आवश्यक है। वाहन में स्टेपनी चारों पहियों के टायर ट्यूब व माइलोमीटर उत्तम एवं चालू हालत में होने की जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।
8. वाहन प्रदाता को वाहन हर समय मय चालक के कार्य के लिये तैयार रहने का आदेश देना होगा।
9. वाहन चालक के पास नियमानुसार वैध ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक है। वाहन का वाहन चालक मादक पदार्थों का सेवन न करता हो। पंजीकरण बीमा ड्रायविंग लाईसेंस आदि कागजात हमेशा वाहन में रखना आवश्यक होंगे।
10. किसी भी प्रकार की दुर्घटना/वाहन चोरी आदि की घटना होने पर वाहन स्वामी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा एवं समस्त खर्चा स्वयं वहन करना पड़ेगा। वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति किसी न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी।
11. वाहन सेवा प्रदाता द्वारा वाहन चालक के EPF एवं ESIC (बीमा संबंधी) की राशि नियमानुसार जमा कर उक्त राशि का चालान/रसीद आगामी माह के देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. यात्रा के दौरान वाहन खराब होने की स्थिति में वाहन प्रदाता को यथा स्थान शीघ्र उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उस दिनका किराया भुगतान नहीं किया जावेगा। वाहन खराब होने पर गैराज तक ले जाने का समस्त व्यय वाहनप्रदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
13. वाहन में समस्त प्रकार की मरम्मत/सर्विसिंग/टूटफूट/टायर ट्यूब बर्स्ट या पंक्चर इत्यादि वाहन प्रदाता का दायित्व होगा।
14. वाहन चालक द्वारा सबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी व वाहन प्रभारी से प्रतिदिन मीटर रीडिंग के अनुसार यात्रा का प्रमाणीकरण लॉगबुक में कराना होगा। प्रमाणित लॉग बुक की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

15. माइलोमीटर की गडबडी अथवा अन्य किसी प्रकार की निर्धारित दूरी से अधिक दूरी से अधिक दूरी दर्शाई जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग को निर्धारित दूरी अनुसार मान्य किया जाएगा।

16. वाहन के स्थानीय या मुख्यालय से बाहर के उपयोग में न्यूनतम दूरी का कोई बंधन नहीं रहेगा।

17. अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि वाहन की आवश्यकता नहीं होने पर 15 दिवस का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकेगा।

18. स्वीकृत दरें अनुबंध तिथि से दो वर्ष के लिये मान्य होगी। इस दौरान डीजल/पेट्रोल दरों में बढ़ोतरी होने पर किराया नहीं बढ़ाया जावेगा। वाहन उपलब्ध नहीं कराने अथवा सेवायें संतोषप्रद नहीं होने की दशा में अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

19. निविदायें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर को होगा।

20. सफल निविदाकार के चयन उपरांत, सफल निविदाकार की अमानत राशि को छोड़कर शेष असफल निविदाकारों की अमानत राशि के रूप में जमा डी0डी0 /बैंक ड्राफ्ट आदि मूलतः वापस की जाएगी। उक्त पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

21. वाहन प्रदायकर्ता को उपयोगकर्ता अधिकारी की मांग अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। मांग अनुसार लगातार 03 दिवस तक वाहन प्रदाय नहीं किये जाने एवं शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

22. वाहन प्रदायकर्ता द्वारा वाहन की मरम्मत/सर्विसिंग एवं अन्य अपरिहार्य कारणों से वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उस अवधि के लिये अन्य अच्छी हालत के वाहन की व्यवस्था करते हुये सक्षम अधिकारी को 15 दिन पूर्व लिखित में सूचित करना होगा। अन्य वाहन की व्यवस्था न करने पर यदि कार्यालय द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर वाहन लिया जाता है तो उस स्थिति में अंतर की राशि वाहन प्रदायकर्ता को देय राशि में से समायोजित कर ली जावेगी।

23. वाहन पूर्ण अवधि (24X7) के लिये कार्यालय के पास रहेगी। मुख्यालय पर अधिकतम 1000 किलोमीटर मासिक की सीमा को आधार माना जावेगा ।

24. PAN, GST नंबर आवंटन की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

25. वाहन उपलब्ध नहीं कराने अथवा सेवायें संतोषप्रद नहीं होने की दशा में अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

26. वाहन का अनुबंध दो वर्ष के लिये रहेगा जो कि दोनों पक्षों के आपसी सहमति से 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा।

27. प्राप्त होने वाली निविदायें बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/निरस्त करने का सर्वाधिकार अध्यक्ष राजस्व मण्डल के प्रतिनिधि के पास सुरक्षित रहेगा इस संबंध में कोई अपील मान्य नहीं होगी।

28. वाहन का मासिक किराया वाहन स्वामी अंकित करेंगे, डीजल/पेट्रोल टोल टैक्स आदि कार्यालय द्वारा प्रदाय करेगा।

29.मासिक किराया राशि में से आयकर अधिनियम के प्रावधान अनुसार आयकर कटौत्रा किया जावेगा।

30.किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

31.वाहन प्रदाता द्वारा अनुबंध करते हुए परफारमेंस सिक्योरिटी के रूप में एक माह के किराये के बराबर राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी। जो कि अनुबंध समाप्ति पर सेवाप्रदाता को वापसी योग्य होगी। (कोई भी वसूली आदि की राशि शेष न होने पर) । सफल निविदाकार द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर पूर्व में प्रस्तुत अमानत राशि वापस की जाएगी।

32.सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी होने के 07 दिवस के भीतर सहमति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं कार्यादेशानुसार 15 दिवस के अंदर वाहन उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। वाहन सेवा प्रदाता को निविदा शर्तों की स्वीकृति हेतु इस कार्यालय के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार रूपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध किया जाना अनिवार्य होगा।

33.वाहन प्रदाता/अनुबंधकर्ता एवं वाहन चालक को कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शासन के समय-समय पर जारी समस्त निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।

34.निविदाकार को इस आशय का एक घोषणा पत्र संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें/उनकी फर्म को कभी भी शासकीय विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।

सचिव,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(किराये पर वाहन हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र)

बैंक ड्राफ्ट/डी0डी0 नं. ....

1. वाहन स्वामी का नाम :-

2. पिता/पति का नाम :-

3. दूरभाष क्रमांक/ मोबाईल नं. :-

4. स्थायी पता :-

5. निविदाकर्ता द्वारा किराये पर वाहन दिये जाने हेतु प्रस्तावित दरें:-

क्रमांक	वाहन का प्रकार	मॉडल वर्ष	मासिक दर चालक सहित	मासिक दर चालक रहित
1.				
2.				

मैंने निविदा की समस्त आवश्यक शर्तें ज्ञात कर ली है तथा मुझे समस्त शर्तें मंजूर है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य है तथा निम्नलिखित अभिलेख संलग्न प्रेषित है-

1. वाहन रजिस्ट्रेशन टैक्सी परमिट की प्रति एवं बीमा के स्वप्रमाणित प्रति।
2. पहचान पत्र, निवास स्थान का प्रमाण व पूर्ण पता का दस्तावेज की प्रति।

स्थान-

दिनांक-

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता सहित

एनेक्चर-1

घोषणा- पत्र

मै0 ....

....

प्रति,

सचिव,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,

ग्वालियर

श्रीमान मैंने/हमने निविदा दस्तावेज की सामग्री को पढ़ और समझ लिया है और इस निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं।

मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि फर्म का कोई भी मालिक/साझेदार/निदेशक किसी भी ऐसी फर्म का मालिक या भागीदार या निदेशक नहीं था या नहीं है, जिसके साथ सरकार ने व्यापार लेनेदेन को प्रतिबंधित/निलंबित किया है।

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम:-

फर्म की मुहर के साथ पदनाम

दिनांक